



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र, 1948 (श०)

संख्या - 454 राँची, मंगलवार,

25 अगस्त, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

10 अगस्त, 2026

संख्या-04/नि०सं०-12-03/2016 का.- 5201--श्रीमती सुषमा बड़ाईक, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-295A/20), अवर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची द्वारा वरीयता पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप प्रोन्नति हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया ।

2. उल्लेखनीय है कि तृतीय संयुक्त असाैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2008 अन्तर्गत झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 4919 दिनांक 08.06.2013 द्वारा श्रीमती सुषमा बड़ाईक, रौल नं०-1468202 (अनुसूचित जनजाति कोटि, महिला कोटा) की नियुक्ति परीक्ष्यमान उप समाहर्ता के पद पर दिनांक 04.07.2013 (योगदान तिथि) के प्रभाव से किया गया था। विभागीय अधिसूचना संख्या 5835 दिनांक 13.11.2020 द्वारा श्रीमती बड़ाईक का वरीयता क्रमांक- 408/20 निर्धारित किया गया था ।

3. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 4836 दिनांक 11.08.2010 द्वारा तृतीय संयुक्त असाैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2008 के माध्यम से अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति वर्ष 2010 में की गई है। उपर्युक्त पदाधिकारियों का वरीयता क्रमांक- 144 से 304 तक निर्धारित है ।

4. श्रीमती बड़ाईक द्वारा अपने नियुक्ति की तिथि एवं वरीयता क्रमांक में संशोधन हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P. (S) No. 625/2021 बन्दना भारती एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

"19. Having regard to the aforesaid discussion and the judicial pronouncements, the instant writ application, deserves to be, and is hereby, allowed. Accordingly, this Court issues following directions: (i) The recommendation by JPSC be shifted from 30.04.2013 to 02.08.2010 and in pursuance to the shift in the date of recommendation; the date of appointment of these petitioners be shifted from 08.06.2013 to 11.08.2010. (ii) Respondent nos. 1 to 4 are directed to prepare the fresh/revised seniority list on the basis of the merit position of the petitioners amongst the members of 3rd Combined Civil Services Examination.

20. As a result, the instant writ application stands allowed and disposed of in the manner indicated hereinabove. Pending I.As., if any, stands closed."

5. W.P.(S) No. 625/2021 में दिनांक 04.10.2024 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA No. 31/2025 राज्य सरकार बनाम बन्दना भारती एवं अन्य दायर किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2025 को पारित न्यायादेश में उक्त LPA को Dismissed as withdrawn कर दिया गया है।

6. W.P.(S) No. 625/2021 में दिनांक 04.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु वादी श्रीमती भारती द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में Cont. Case No. 1040/2024 बन्दना भारती एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें दिनांक 02.05.2025 को पारित अंतरिम आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"3. In the meantime, it is expected that the learned counsel for the opposite parties should either comply with the order, subject to the decision of Appellate Court or produce the said order."

Today, learned counsel appearing for JPSC submits that in Letters Patent Appeal filed against the order of the writ Court notices have been issued, however, no stay has been granted.

As such, the opposite party shall comply with the order of the writ Court before the next date of hearing, subject to the outcome of Letters Patent Appeal."

7. W.P.(S) No. 625/2021 में दिनांक 04.10.2024 को पारित न्यायादेश तथा Cont. Case No. 1040/2024 में पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग

से प्राप्त संशोधित अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 6153 दिनांक 16.10.2025 द्वारा श्रीमती बड़ाईक की उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति तिथि संशोधित करते हुए वरीयता पुनर्निर्धारण करने संबंधी अधिसूचना निर्गत की गई।

8. विभागीय अधिसूचना संख्या 6153 दिनांक 16.10.2025 द्वारा तृतीय संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2008 अन्तर्गत झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 4919 दिनांक 08.06.2013 द्वारा उप समाहर्ता के पद पर नियुक्त श्रीमती सुषमा बड़ाईक, रोल नं०-1468202 (अनुसूचित जनजाति कोटि महिला कोटा) की उप समाहर्ता के पद पर की गई नियुक्ति की तिथि 04.07.2013 (योगदान तिथि) को दिनांक 11.08.2010 से प्रतिस्थापित किया गया।

साथ ही विभागीय अधिसूचना संख्या 5835 दिनांक 13.11.2020 द्वारा निर्धारित वरीयता सूची में श्रीमती सुषमा बड़ाईक (गृह जिलागुमला) का पूर्व में निर्धारित वरीयता क्रमांक 408/20 को विलोपित करते हुए इनका नया वरीयता क्रमांक 295A/20 पुनर्निर्धारित किया गया।

9. तदोपरांत श्रीमती बड़ाईक द्वारा उपरोक्त वरीयता पुनर्निर्धारण के आलोक में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

10. श्रीमती बड़ाईक का अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत है :-

(i) श्रीमती बड़ाईक की सेवा दिनांक 02.02.2016 के प्रभाव से सम्पुष्ट है।

(ii) उक्त तिथि के उपरांत अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 24.12.2020 को आहूत की गई थी।

(iii) वरीयता पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप श्रीमती सुषमा बड़ाईक झांप्र०से० का नया कोटि क्रमांक 295A/20 है। श्रीमती सुषमा बड़ाईक से कनीय श्रीमती शालिनी खलखो, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 298/20) को विभागीय अधिसूचना सं० 3539 दिनांक 08.06.2022 द्वारा मूल कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 5400, पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-9) से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे 6600, पुनरीक्षित वेतनमान-पे मैट्रिक्स लेवल-11) में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

11. अतः श्रीमती सुषमा बड़ाईक, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 295A/20) को उनसे कनीय श्रीमती शालिनी खलखो, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 298/20) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-II 15600-39100 GP 6600, पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-11) में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि 24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान किया जाता है।

12. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के आलोक में श्रीमती बड़ाईक को प्रदत्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ

विभागीय अधिसूचना संख्या 7407 दिनांक 30.12.2023 के आलोक में प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा ।

13. यह प्रोन्नति याचिका संख्या W.P.(S) No. 4357/2020 समीर कच्छप एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा W.P.(S) No. 3792/2016 अमरेन्द्र सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
